बिहार सरकार
उद्योग विभाग

आदेश

भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन की सुदृढ़ व्यवस्था के लिये यह आवश्यक है कि घूस लेते रंगे हाथ पकड़े जाने वाले एवं भ्रष्टाचार में संलिप्त सरकारी सेवकों के विरूद्ध कदाचार के आधार पर आरोप–पत्र का गठन एवं निर्धारित समय–सीमा में विभागीय कार्यवाही का निष्पादन हो। साथ ही आम जनता की वैसी समस्यायें जिसे दूरभाष पर जानकारी देकर ही समाधान किया जा सकता है, इसके लिए हेल्प–लाइन की भी व्यवस्था आवश्यक है।

अतः आदेश दिया जाता है कि कदाचार के आधार पर संबंधित सरकारी सेवकों के विरूद्ध आरोप–पत्र का गठन कर निर्धारित समय–सीमा में विभागीय कार्यवाही का निष्पादन किया जाय।

2. विभाग / निदेशालय / क्षेत्रीय कार्यालय पर हेल्प–लाइन की व्यवस्था सुदृढ़ किया जाय जिससे कि आम जनता का समय, श्रम एवं धन की बचत के साथ उनकी समस्याओं का त्वरित निष्पादन हो सके।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– दिनांकः–
3(स0) / उ0स्था0(आरोप)01 / 14

प्रतिलिपिः– उद्योग निदेशक / निदेशक, हस्तकरघा एवं रेशम / निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण / निदेशक, तकनीकी विकास, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– विभागीय मंत्री के आप्त सचिव / प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव / अपर सचिव / विशेष कार्य पदाधिकारी / उप सचिव / सभी अवर सचिव को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– दिनांकः–

प्रतिलिपिः– श्री संत कुमार सिन्हा, सहायक, प्रशाखा–3(स0), उद्योग विभाग, बिहार, पटना से अनुरोध है कि विभागीय हेल्प–लाइन की व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जाय।

ह0 / –
सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांकः– 343 दिनांकः– 23/1/14

प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, उद्योग विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

[signature] 23-01-14
सरकार के अवर सचिव

राकेश / 22–01–14

D:\Industry Deptt\Devesh\Devesh 1.doc